efgyk fg|lk jkdk vfHk;ku

t|ykbl 2016

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में सामान अधिकार एक विशेष अधिकार है। परन्तु महिलाओं को घर और बाहर उनके सामान अधिकारों को दिलाना एक कठिन काम है। क्योंकि घर और बाहर महिलाओं के लिए कोई भी सहयोगी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में प्रत्येक 2 मिनट में एक महिला हिंसा की शिकार होती है।

महिला हिंसा एक सोच है जिसमें महिलाओं के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। इस व्यवहार के अंतर्गत महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी भेदभाव, मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या जैसे हिंसा की शिकार होती है।

महिला हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए और समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए महिलाओं के संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है। इस आन्दोलन के चलते महिलाओं को शिक्षा, रोजगार व महिलाओं के हित व अधिकार में कुछ कानून बनाए गए हैं। परन्तु आज भी महिला हिंसा के आंकड़ों में कमी नहीं आई है।

efgyk fg|lk&efgyk LokLF; vkj ferkfuu dk;lØe &

मितानिन कार्यक्रम में प्रारंभ अर्थात 2001 से स्वास्थ्य को जेंडर के एक मुख्य मुद्दे के रूप में पहचाना गया है। इसके आलावा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने Management Information System (MIS) में आवश्यक स्वास्थ्य सूचकांकों में महिला हिंसा को भी एक आवश्यक सूचकांक के रूप में शामिल किया है। मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य की सामाजिक असमानता को महिला हिंसा के रूप में आमजन को मितानिनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हमारे देश हमारे राज्य में महिलाओं के संख्या कम, अधिक संख्या में कुपोषित, अधिक बीमार पड़ती है, मातृ मृत्यु दर अधिक, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार नहीं है।

महिला हिंसा के इन सब पहलुओं के आलावा महिला स्वास्थ्य की खराब स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। महिलाओं के साथ शारीरिक व मानसिक हिंसा जो सीधे रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है।

मितानिन कार्यक्रम के द्वारा वर्श 2001 में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अनदेखापन महिला हिंसा होती है। महिला स्वास्थ्य के प्रति इस सामाजिक असमानता को दूर करने गांव–गांव में नुक्कड़ नाटक का प्रद र्न किया गया था।

efgyk fglk jkdk vfHk;ku & राज्य में महिला व बालिका हिंसा के बढ़ते आंकड़े और मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत मितानिनों को समय–समय पर महिला हिंसा और इसे रोकने उपलब्ध कानून व नए कानूनों के बारे में जानकारी के फलस्वरूप गाँव–गाँव में महिलाएं महिला हिंसा के विरोध में आगे आ रही थी। महिलाओं के इस स्वस्फूर्त आन्दोलन को दिशा देने नियोजित व सशक्त तरीके से आयोजित करने के लिए महिला हिंसा रोको अभियान मई 2016 में किया गया।

vfHk;ku dh çeq[k xfrfof/k;k &

- çf'k{k.k &प्रशिक्षण में हम समुदाय के लिए, समुदाय के साथ और समुदाय के द्वारा किस प्रकार महिला हिंसा का विरोध कर सकते है पर चर्चा व रणनीति बनायी गयी। मितानिन कार्यक्रम में जिले से गाँव तक के निम्न कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया–
- ferkfuu & मितानिन समुदाय द्वारा चयनित ऐसी महिला है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पारे का नेतृत्व कर ाासन, पंचायतों व समुदाय के बीच समन्वय स्थापित कर रही है। मितानिन की भूमिका ऐसे नेतृत्वकर्ता की है जो स्वास्थ्य के विषय में जानकार है एवं इसकी बेहतरी के लिए लोगों के बीच सक्रिय है। इस भूमिका में मितानिन स्वास्थ्य व इससे जुड़े तमाम विषयों पर समुदाय की जागरूकता बढ़ाती है, समुदाय स्तर पर सलाह व प्रारंभिक इलाज की सेवाएं देती है एवं समुदाय को भाासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ती भी है।

- महिला हिंसा रोको अभियान के लिए मितानिनों को प्रशिक्षण दिया गया।
- ferkfuu çf'k{kd & मितानिनों को विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण देने व लगातार फील्ड में कार्यात्मक प्रशिक्षण व सहयोग देने के लिए मितानिन प्रशिक्षक चयन किये गये हैं। प्रत्येक मितानिन प्रशिक्षक लगभग 20 मितानिनों (भौगोलिक स्थिति अनुसार) के संकुल को सहयोग करती/करता है। मितानिन प्रशिक्षक मितानिनों के संपर्क में रहकर उनके उत्साह को बनाए रखने में भी महत्वूपर्ण भूमिका निभाते हैं। मितानिन प्रशिक्षक भी मितानिन की भांति स्वयं सेवी है।
- महिला हिंसा रोको अभियान के लिए मितानिन प्रशिक्षक को प्रशिक्षण दिया गया।
- Cykd leUo;d & मितानिन प्रशिक्षकों के कार्यों की निरानी करने व उनकी कार्यकुशलता को मजबूत करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में दो ब्लाक समन्वयकों होते हैं। प्रत्येक ब्लाक समन्वयक द्वारा लगभग 10 मितानिन प्रशिक्षकों (भौगोलिक स्थिति अनुसार) को सहयोग किया जाता है। इस प्रकार मितानिन के प्रशिक्षक व कार्यात्मक प्रशिक्षक के ढ़ांचे में मितानिन प्रशिक्षक के बाद की कड़ी की भूमिका ब्लाक समन्वयकों द्वारा निभाई जाती है–

  महिला हिंसा रोको अभियान के लिए ब्लाक समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया गया।

LoLF; ipk;r leUo;d & स्थानीय स्वास्थ्य नियोजन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के लिए विकासखण्ड में एक स्वस्थ पंचायत समन्वयक चयनित किया जाता है। जिन विकासखण्डों में 200 से अधिक ग्राम हो (अथवा 80 से अधिक ग्राम पंचायतें हों), वहां भौगोलिक स्थिति व आवश्यकतानुसार 2 स्वस्थ पंचायत समन्वयक चयनित किये जा सकते हैं। वर्तमान में 147 विकासखण्डों में स्वस्थ पंचायत समन्वयक कार्यरत है। अगले वर्ष 2012–13 में प्रदेश के सभी विकासखण्डों में इनका चयन किया जाएगा।

स्वस्थ पंचायत समन्वयक की मुख्य भूमिका ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों द्वारा ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाने व क्रियान्वित करने एवं स्थानीय समुदाय द्वारा स्वास्थ्य स्थिति

व भाासकीय सेवाओं की निगरानी के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। स्वस्थ पंचायत समन्वयक, ब्लाक समन्वयकों व मितानिन प्र ाक्षकों के साथ समन्वय के साथ काम करते हैं।

महिला हिंसा रोको अभियान के लिए स्वास्थ्य पंचायत समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया गया।

ftyk leUo;d & मितानिन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्षेत्र में इस भूमिका को निभाने हेतु राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा लगभग 4–5 विकासखण्ड पर एक जिला समन्वयक होते हैं। इनकी भूमिका मितानिन कार्यक्रम के सभी पहलुओं में तकनीकी सहयोग, समन्वय व निगरानी करने की है। कार्यक्रम अंतर्गत मितानिनों को प्रदान किये जा रहे प्र ाक्षण एवं कार्यात्मक प्र ाक्षण में गुणवत्ता बनाना जिला समन्वयक का मूल दायित्व होता है।

महिला हिंसा रोको अभियान के लिए सभी जिला समन्वयकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रशिक्षण सामग्री के रूप में अभियान संबंधी पर्चा एवं पूर्व निर्मित मितानिन प्रशिक्षण पुस्तिका जिसमें जेंडर, महिला हिंसा व उससे जुड़े कानूनों को विस्तार से समझाया गया है।

महिला हिंसा

कई महिलाओं के साथ उनके पति अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की जाती है। किन्तु यह उनका पारिवारिक मामला है, यह सोचकर लोग अक्सर मदद के लिए आगे नहीं आते। परन्तु पति या परिवार वालों द्वारा महिला के साथ की जा रही शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को रोकना भी समाज की जिम्मेदारी है।

मितानिन एवं समुदाय द्वारा पीड़ित महिला की मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए :-

1. पीड़ित महिला के पास जाकर उसकी बात सुनना चाहिए, उसको मदद का विश्वास दिलाना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि यह घरेलू मामला नहीं बल्कि सामाजिक मामला है।
2. पति से भी बात करके उसे समझाना चाहिए।
3. पंचायत और पारा की बैठक करके महिला को मदद करने और पति को समझाने की कोशिश करनी चाहिए।
4. बार–बार ऐसी घटना होने पर पुलिस थाने और कानूनी मदद लेनी चाहिए।

औरतों को जो मारेगा, जेल की हवा खाएगा !

महिला हिंसा को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ?

लड़कियों को सिखाना :-

- लड़कियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें लड़के के बराबर अधिकार देना चाहिए
- उन्हें शिक्षा देकर आत्म निर्भर बनाना चाहिए, साहसी बनाएं
- 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करें, खेलने–कूदने की आजादी देनी चाहिए

लड़कों को सिखाना :-

- जिस तरह से लड़कियों को एक अच्छी पत्नि और माता बनने के लिए समझाया जाता है। उसी तरह लड़कों को भी एक अच्छा पति और पिता बनने के लिए समझाना चाहिए

जाग गई भई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई !

- पिता कभी माता का अपमान न करें और न ही प्रताड़ित करें क्योंकि भवष्यि में लड़का भी उन्हीं आदतों को अपनायेगा
- महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं

घरेलू हिंसा पर रोक का कानून :-

शासन द्वारा घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण कानून 2005 बनाया गया है। यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस कानून का सहारा लेकर घरेलू हिंसा से अपना बचाव कर सकती हैं।

इस कानून के तहत महिला को उपलब्ध राहत :-

1. गंभीर स्थिति में हिंसा करने वाले को घर से हटने का आदेश भी दे सकती है। इसका मतलब है कि पीड़ित महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि पुरूष को घर छोड़कर जाना पड़ेगा
2. अगर मां चाहे तो बच्चों को मां के साथ रहने का आदेश मिल सकता है

शिकायत कहां करें :- थाना, कोर्ट, अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी

औरतों ने अब यह ठाना है, हिंसा मुक्त जीवन पाना है !

क्र.	अपराध	कानून (भा.द.वि)	अधिकतम सजा (जेल)
1.	मारपीट	323	1 वर्ष
2.	गंभीर चोट पहुंचाना	325	7 वर्ष
3.	औरत की शालीनता भंग करने की हिंसा या जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
4.	पहली पत्नि के जीवित रहते दूसरी शादी करना	494	7 वर्ष
5.	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित स्त्री पर क्रूरता	498	5 वर्ष
6.	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष
7.	आत्महत्या के लिए दबाव डालना	304	10 वर्ष
8.	दहेज मृत्यु	304 (बी)	7 वर्ष से आजीवन जेल
9.	नाबालिक लड़की को अपने कब्जे में रखना	344-ए	10 वर्ष
10.	अपहरण, भागना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना	366	10 वर्ष
11.	बलात्कार	376	आजीवन, 10 वर्ष जेल
12.	वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना	496	2 वर्ष
13.	18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल अपराध है	धारा-3 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929	15 दिन
14.	बाल विवाह से संबंध माता-पिता संरक्षक के लिए दण्ड	धारा-6 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929	15 दिन
15.	दहेज लेने वे देने के लिए	धारा-4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	6 माह से 2 वर्ष
16.	दहेज मांगने के लिए दण्ड	धारा-4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	6 माह से 2 वर्ष
		छ.ग. टोनही प्रताड़ना अधिनियम	
17.	यदि कोई व्यक्ति किसी की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है	धारा-4	3 वर्ष
18.	कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य द्वारा टोनही के रूप में पहचान व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है	धारा-5	5 वर्ष
19.	टोनही के रूप में पहचाने हुए व्यक्ति की झाड़फूंक टोटका तंत्र-मंत्र से उपचार करने का दावा करने पर	धारा-6	5 वर्ष
20.	टोनही होने का दावा करने पर	धारा-7	1 वर्ष

औरतों का है अधिकार, अब न सहेंगे अत्याचार !

- tkx:drk lkexh & विभाग द्वारा महिला हिंसा रोको अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता सामग्री का निर्माण किया गया था। इस सामग्री में मितानिन और समुदाय हिंसा की शिकार महिला के लिए क्या कर सकती है, बालिकाओं को समाज में बराबर का अधिकार दिलाने प्रारंभ से शिक्षा देना एवं महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गयी है।

efgyk fgalk dk vkdMk dk ladyu & ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में गाँव में महिला हिंसा के प्रकरणों की जानकारी एवं कितने प्रकरणों में पीडिता को न्याय दिलाने रणनीति बनायीं गयी संबंधी आकड़ो का संकलन किया गया. जो की निम्न है –

Ø-	ftyk	fdru पारे e efgyk fgalk cBd@jSyh vk;kftr gbZ	fdru पारे e efgyk fgalk ij ukjk y[ku fd;k x;k	efgyk fgalk ij fdru ijdj.kk dh igpku gbZ	fdru 0gh-,p-,l-,u-lh- e efgyk fgalk ij dk;Z;kstuk cuk;s x,
1	सुकमा	353	583	175	93
2	बीजापुर	308	983	93	58
3	दंतेवाड़ा	104	574	242	167
4	बस्तर	1130	1423	455	387
5	कोण्डागांव	709	1697	499	402
6	नारायणपुर	176	219	200	34
7	कांकेर	1092	2112	239	321
8	धमतरी	547	1000	60	620
9	रायपुर	1686	1281	274	411
10	गरियाबंद	1866	1803	213	207
11	बलौदा बाजार	561	785	71	257
12	दुर्ग	384	379	75	372
13	बालोद	690	1797	196	673
14	बेमेतरा	1647	1688	264	678
15	महासमुन्द	1081	2027	511	1025
16	राजनांदगांव	2159	3076	490	566

17	कवर्धा	1365	1267	171	387
18	बिलासपुर	1045	2708	496	787
19	मुंगेली	617	1317	202	474
20	रायगढ़	1603	2430	578	507
21	जंजगीर	2791	3041	262	466
22	कोरबा	708	1885	106	627
23	सरगुजा	666	2405	489	317
24	बलरामपुर	749	888	633	525
25	सूरजपुर	1404	2396	470	439
26	कोरिया	398	1977	159	223
27	जशपुर	1426	3301	743	612
d|y		27265	45042	8366	11635

mil|gkj & महिला हिंसा रोको अभियान एक प्रभावी सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में समस्त 27 जिलों में आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत समुदाय विशेष रूप से महिलाओं ने हिंसा के विरोध में अपनी चुप्पी को तोड़ समानता व सम्मान के लिए घर से बाहर अपने पारा, मोहल्ले और गाँव में आवाज उठायी है। महिलाओं के हक व अधिकार के लिए निकाली गयी रैली व कार्यक्रमों में पंचायत के पंच, सरपंच प्रशासनिक कर्मचारियों में शिक्षक, डॉक्टर, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी एवं मितानिन कार्यक्रम के कर्मचारियों ने भी सहभगिता निभायी। इस अभियान के फलस्वरूप जिन घरों में महिला के साथ हिंसा होती थी उन घरों के बाहर दीवार पर लोगो ने "जो महिला को मारेगा जेल की हवा खाएगा" नारा लेखन कर दिया। इस अभियान में बच्चों ने भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया और एक घर में जब एक पति अपनी पत्नी के साथ मार–पीट करता था तो उनके बच्चे ने अपने पिता को "जो महिला को मारेगा जेल की हवा खाएगा" नारा लगाकर अपने पिता को डराया। महिला हिंसा रोको अभियान का प्रभाव आज गाँव–गाँव में देखने को मिला रहा है। मितानिन कार्यक्रम महिला हिंसा के विरोध में किया गया यह प्रयास एक सफल प्रयास रहा है।

Hkfo"; d fy, l>ko & मितानिन कार्यक्रम के द्वारा आयोजित महिला हिंसा रोको अभियान एक सफल अभियान रहा। भविष्य में इस अभियान को और सुद्धण तरीके से करने के लिए निम्न सुझाव है –

- अभियान में रचनात्मकता लाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नुक्कड़ नाटकर का आयोजन किया जा सकता है।
- महिला हिंसा के मुद्दे पर पोस्टर प्रदर्शनी लगाना चाहिए।
- स्कुल, कालेज के बच्चो के बीच महिला हिंसा के मुद्दे पर लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण स्तर पर जहाँ संभव हो वहां महिला हिंसा पर आधारित फिल्म दिखाना होगा।
- मिडिया को इस अभियान से जोड़ना होगा।
- प्रशासनिक विभागों से इस अभियान में सहभागिता के लिए अपील करना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे विभागों व स्वयं सेवी संगठन को महिला हिंसा के विरोध में साथ में काम करने का प्रयास करना।

महिला हिंसा से जागरूक करने गांव में निकली रैली

जांजगीर/सकरेली | ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक शासकीय प्राथमिक शाला सकरेली में आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, प्रताड़ना, मारपीट,घर की बहु बेटियों के साथ होने वाले अपराधो को रोकने के लिए विचार हुआ। महिलाओं ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा व प्रताडना से लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली।ग्रामीणों से स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया गया। रैली में सरपंच रहस बाई गोड, ब्लॉक समन्वयक आशा बरेठ, मास्टर ट्रेनर कुंती तम्बोली, अभिषेक सोनी, धनकुमारी तम्बोली एवं आगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे।